

//1//

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-223/15

Filing number 235103003762015

न्यायालय-साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी  
जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-223/15

संस्थित दिनांक- 31.08.2015

Filing number 235103003762015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. रानू आदिवासी पुत्र श्रीराम आदिवासी उम्र 21 साल  
निवासी- आदिवासी मोहल्ला हाटकापुरा चंदेरी  
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....आरोपी

**:: निर्णय ::**

**(आज दिनांक- 12.05.2017 को घोषित किया गया)**

01. अभियुक्त रानू के विरुद्ध धारा 279, 338 भा0द0वि0 एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 04.07.2015 को दोपहर करीब 2 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत हाटकापुरा खिन्नी के पेड के पास लोकमार्ग पर वाहन मोटर साईकिल सी.डी.डीलक्स क्रमांक यूपी94 ई 4767 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर एवं उसे पलटाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर आहत सोना उर्फ सोनम को टक्कर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

02. प्रकरण में अवलोकनीय है कि दिनांक 08.03.2017 को नाबालिक आहत सोना उर्फ सोनम की ओर से उसके पिता घनश्याम व आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी रानू को धारा 338 भा0द0वि. के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि प्रधान आरक्षक अनिल कुमार द्वारा दिनांक 04.07.2015 को रोजनामचा सान्हा 158/4.7.15 पर आमद तहरीर जांच हेतु प्राप्त होने पर जांच की गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये

गये। जांच में सी.डी. डीलक्स मोटर साईकिल का चालक रानू आदिवासी द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटसाईकिल चलाकर टक्कर मारना पाया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 337 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

**04.** अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05.** राजीनामा उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :-

|           |   |
|-----------|---|
| <b>1.</b> | क्या अभियुक्त मेहरवान के द्वारा दिनांक 04.07.2015 को दोपहर करीब 2 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत हाटकापुरा खिन्नी के पेड के पास लोकमार्ग पर अपने वाहन मोटरसाईकिल सी.डी.डीलक्स क्रमांक यूपी94 ई 4767 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर एवं उसे पलटाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ? |
| <b>2.</b> | क्या घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया ?  |
| <b>3.</b> | क्या उक्त घटना, दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?   |

### // विचारणीय प्रश्न क्र. 1, 2 व 3 //

**06.** विचारणीय प्रश्न क्र. 1, 2 व 3 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। आहत सोनम अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी रानू को जानती है। घटना के समय वह स्कूल पढ़ने जा रही थी तो एक मोटरसाईकिल से टक्कर लगने से उसे बाएं पैर में चोट लग गई थी और मोटरसाईकिल का चालक घटना स्थल से भाग गया था। उक्त साक्षी का कहना है कि मोटरसाईकिल कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम, उसे टक्कर कैसे लगी उसे नहीं मालूम, तथा मोटरसाईकिल पर कौन-कौन व्यक्ति था इसकी भी उसे जानकारी नहीं है क्योंकि वह घबरा गई थी।

**07.** सोनम अ0सा01 को न्यायालय में उपस्थित आरोपी को दिखाकर पूछने पर बताया कि वह नहीं बता सकती कि उक्त मोटरसाईकिल को न्यायालय में उपस्थित आरोपी चला रहा था या नहीं और उक्त साक्षी यह बताने में असमर्थता व्यक्त की कि मोटरसाईकिल चलाने वाले व्यक्ति ने मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी थी या नहीं। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 1 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**08** घनश्याम अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब एक वर्ष पहले की होकर ढाई बजे की है। उसकी लड़की सोनम स्कूल जा रही थी रास्ते में एक गाड़ी हीरो होन्डा मोटरसाईकिल ने उसे टक्कर मार दी थी, उक्त घटना के बारे में उसे खिल्लू व प्रीतम ने बताया था। घनश्याम अ0सा03 ने उसक मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मोटरसाईकिल कौन चला रहा था और मोटरसाईकिल चालक का नाम उसे घटना के बाद भी पता नहीं चला था और न ही किसी व्यक्ति ने मोटरसाईकिल चालक का नाम बताया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुमति से पूछे जाने पर उसने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्टता: इंकार किया कि उसे उसकी लड़की सोनम ने बताया था कि आरोपी रानू मोटरसाईकिल को भगाता हुआ लाया था और टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसे आरोपी रानू द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने वाली बात संजू एवं खिल्लू द्वारा बताई गई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने पुलिस कथन प्र.पी. 2 देते समय उक्त बाते पुलिस को नहीं बताई थी पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर ली उसका कारण नहीं बता सकता।

**09.** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चस्मदीत साक्षी संजू अ0सा04, खिल्लू उर्फ खिलन अ0सा05 ने उनके न्यायालयीन कथनो में आरोपी रानू एवं आहत सोना को जानना बताया किन्तु उक्त साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया और अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि रानू ने मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और आहत सोनम को टक्कर मार दी थी जिससे वह गिर पड़ी थी। साक्षीगण को उनका पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 4 व 5 पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उक्त साक्षीगण पुलिस को प्र.पी. 4 व 5 का कथन न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता। इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी सुरेन्द्र सिंह चौहान अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 28.07.2014 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अ0क्र0 259/15 धारा 279, 337 भा0द0वि0 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान

घटना स्थल पर पहुँचकर संजू की निशानदेही पर घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 3 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और विवेचना के दौरान संजू के कथन लेखबद्ध किये थे। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके पश्चात् उसका स्थानांतरण होने से केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु एचसीएम चंदेरी को सुपुर्द कर दी थी।

10. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी सोना अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं आहत है ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम और उसे टक्कर कैसे लगी उसे नहीं मालूम तथा न्यायालय में उपस्थित आरोपी को दिखाकर पूछने पर भी साक्षी ने बताया कि वह नहीं बता सकती कि मोटरसाईकिल न्यायालय में उपस्थित आरोपी चला रहा था या नहीं और मोटरसाईकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया था अथवा नहीं। प्रकरण के अन्य चरमदीद साक्षी संजू अ0सा04, खिल्लू उर्फ खिलन अ0सा05 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है और आहत सोनाबाई के पिता घनश्याम अ0सा02 ने भी इस बात से इंकार किया कि उसकी लड़की सोनम ने उसे बताया था कि आरोपी रानू मोटरसाईकिल भगाता हुआ लाया था और टक्कर मार दी थी।

11. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपी रानू मोटरसाईकिल सीडी डीलक्स क्र0 यूपी94 पी 4767 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था जहां की अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी रानू दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल को चला रहा था वहां यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना समय व स्थान पर उक्त वाहन को अभियुक्त रानू द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस एवं बिना बीमा के चलाया। अतः अभियुक्त रानू को भा0द0वि धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

12. प्रकरण में जप्तसुदा मोटरसाईकिल सीडी डीलक्स क्र0 यूपी94 पी 4767 पूर्व से सुपुर्दी पर है अतः सुपुर्दीनामा सुपुर्दीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

13— अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान निरोध में विताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे

14. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

//5//

दाण्डिक प्रकरण कमांक-223/15  
Filling number 235103003762015

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

//6//

दाण्डिक प्रकरण कमांक-223 / 15  
Filling number 235103003762015